सं0 सं0 14/एम 11–2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषयः– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **20.1.16** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजं को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**
1	2	3	4
1	रवि कुमार गुप्ता पिता–स्व. शंकर जी ग्राम–कटहरी बाग रोड पो0–छपरा थाना–नगर जिला–सारण सी.आरनं0–201503376492	**गुर्दा प्रत्यारोपण रोग**	₹ 2,00,000/–(दो लाख) स्वीकृत।
2	हर्षित आनन्द पिता–श्री रविकान्त भारती ग्राम--पीठतौरी पुरानी कलालीगली, पो0+थाना–सुल्तानगंज जिला–भागलपुर सी.आरनं0–201503488096	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,00,000/–(दो लाख) स्वीकृत।
			कुल **₹ 4,00,000/–**

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि **₹ 4,00,000/–(चार लाख)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 .....509183..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम–"**डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0** " खाते का प्रकार– चालु बैंक का नाम– **एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम– **मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर–12, चंडीगढ़** RTGS/IFSC कोड सं0 **01524** में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। । **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।**

विश्वासभाजन
ह0/–

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...509193.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/–
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 151 (14) पटना, दिनांक – 8-2-16

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ **आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

D:\order copy CM Relief fund\january 16\20-1-16\pgi chandiragh 20-1-16.doc

सं0 सं0 14 /एम 11–2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

निदेशक
रविन्द्र नाथ टैगोर अर्न्तराष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषयः– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **20.1.16** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेखा देवी पति–कृष्ण कुमार केसरी ग्राम–मारवारी टोला पो0+थाना–हवेली खड़गपुर जिला–मुंगेर	हृदय रोग	₹ 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/–

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार)** का क्रास चेक सं0.....
.....509182.....मूल रूप में संलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1491(14) पटना, दिनांक 8.12.16

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)संबंधित मरीजं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

D:\order copy CM Relief fund\January 16\20-1-16\Ravindra nath tagor International kolkata 20-1-16.doc